प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी-जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी-ग्राम-झाला भरौरी, थाना-बिलसन्डा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। दिनांक 05.04.2001 को बन्दी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर धीरसिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का कारण आपसी विवाद की रंजिश। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433/2002 व 434/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364 तथा 307/302/201/149 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/ एस0टी0एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.10.2015 तक 14 वर्ष 06 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 02 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं तथा 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोषमुक्त। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रक्षपाल सिंह (बन्दी संख्या-39957) पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-671/2017/1929(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-671/2017/1929/22-2-2016-17(96)/2008

दिनांक 18 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी-ग्राम-झाला भरौरी, थाना-बिलसन्डा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। दिनांक 05.04.2001 को बन्दी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर धीरसिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का कारण आपसी विवाद की रंजिश। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433/2002 व 434/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364 तथा 307/302/201/149 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/ एस0टी0एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.10.2015 तक 14 वर्ष 06 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 02 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं तथा 01 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोषमुक्त। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।